# फर्द अहकामर7

## प्रभात बनाम राजस्थान सरकार

त्र संख्या: 190/2024

| दिनांक | आज्ञा विस्तृत रूप से | वि शेष विवरण |
|---|---|---|
| .07.2024 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बावत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी पेश किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थी की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न0 614 रकबा 0.20 है०, खसरा न० 632 रकबा 0.36 है०, खसरा न० 634 रकबा 0.20 है० खसरा न० 636 रकबा 0.04 है० कुल किता 4 रकबा 0.80 है० वाके ग्राम पीपला भरतसिंह पटवार हल्का जयसिंहपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है। उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 03/07/2024 को श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश कमांक/सीमा/24/4964–4966 दिनांक 28/06/2024 की पालना मे ग्राम पीपला भरतसिंह के खसरा न0 614, 632, 634,636 किता 4 कुल रकबा 0.80 है0 के मौके पर पहुंचा मौके पर आवेदक खातेदार व अन्य मौतविरान मौके पर उपस्थित आए, मौके पर खसरा न0 614 का सीमाज्ञान प्रारम्भ किया, जिसमे खसरा न0 735 गै०मु० चाह से खसरा नम्बर 614 के उत्तर पुर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी कोने जरीब चलाकर कायम किए। इसी प्रकार खसरा न0 635 गै० मु० चाह से जरीब चलाकर खसरा न0 634 के उत्तर–पूर्वी व दक्षिण पूर्वी कोने कायम किए। इसी प्रकार खसरा नम्बर 632 व 636 के उत्तर–पूर्वी, दक्षिण–पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण–पश्चिमी कोने खसरा नम्बर 635 गै० मु० चाह से बारी–बारी जरीब चलाकर कायम किए गये। फर्द मौका मौके पर तैयार कर उपस्थित लोगो के हस्ताक्षर व अगुंठा निशानात करवाये गए। प्रार्थी की भूमि के पडोसी काश्तकारो आये दिन सीमा पर हमेशा विवाद करते है इस कारण प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे वो अपनी आराजीयात के चारो तरफ तार बाउण्डरी कर अपनी आराजीयात को सुरक्षित कर सके तथा भविष्य मे सीमाज्ञान के लिए पडौसी काश्तकार से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।<br>अतः प्रार्थना पत्र .मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि हाल खसरा न0 614 रकबा 0.20 है०, खसरा न0 632 रकबा 0.36 है०, खसरा न० 634 [illegible] 20 है० खसरा न0 636 रकबा 0.04 है० कुल [illegible] ग्राम पीपला भरतसिंह पटवार हल्का जयसिंहपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश जरिये पुलिस हिमदयाद के अप्रार्थी को फरमाने की कृपा करे।<br>उप खण्ड अधिकारी<br>जयपुर (द्वितीय) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:36:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रभात बनाम राजस्थान सरकार

**प्रार्थना पत्र संख्याः** ...............

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि पर अन्य किसी सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी के पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में प्रार्थी की वाके ग्राम पीपला भरतसिंह पटवार हल्का जयसिंहपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि हाल खसरा न0 614 रकबा 0.20 है०, खसरा न0 632 रकबा 0.36 है०, खसरा न० 634 रकबा 0.20 है० खसरा न0 636 रकबा 0.04 है० कुल किता 4 रकबा 0.80 है० की पत्थरगढी तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 03.07.2024 के अनुसार कायम करें। कानून व्यवस्था का ध्यान रखा जावें एवं आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद की सहायता ली जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह )
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:36:40 IST
Reason: SelfAttested